



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।**

e-mail : pccf-development@gov.in



- 0651-2481813 / 9304727852



पत्रांक :- ०१/यो०ब० -१०/२०२१-५८४ दिनांक :- ०२/८/२०२१  
प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
राँची वन प्रमंडल, राँची।

**विषय :-** वित्तीय वर्ष 2021-22 में झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क) को अनुदान योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अन्तर्गत 200.00 लाख (दो करोड़ रुपये) मात्र की राशि का ऑन-लाईन उप आवंटन।

**प्रसंग :-** वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-०७/यो०बजट-६५/२०१५-०२/स्वी० व०प० दिनांक 13.07.2021 एवं आवंटन आदेश संख्या-०४/यो० बजट-६५/२०१५-२२/आ० व०प० दिनांक 22.07.2021।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2021-22 में झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क) को अनुदान योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अन्तर्गत कुल ₹० 200.00 लाख (दो करोड़ रुपये) मात्र की स्वीकृति प्राप्त राशि का ऑन-लाईन उप आवंटन उपर्युक्त वर्णित वन विभागीय स्वीकृत्यादेश एवं आवंटन आदेश के आलोक में लघुशीर्ष/इकाईवार राशि निम्नवत उप-आवंटित किया जाता है :-

(राशि लाख में)				
क्र० सं०	शीर्ष का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड़	आवंटित राशि
1	“2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप—मुख्य शीर्ष ०१—वानिकी, लघु शीर्ष ७९६—जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष ५४—झारपार्कस को अनुदान योजना”	79—सहायता अनुदान सामान्य इकाई	19824060179654010679	200.000
कुल आवंटित राशि				200.000

ऑन—लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-१ पर संलग्न है।

2. वर्तमान आवंटित राशि 200.00 लाख (दो करोड़ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क) को अनुदान योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) का बजट मुख्य शीर्ष 2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप—मुख्य शीर्ष ०१—वानिकी, लघु शीर्ष ७९६—जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष ५४ “झारपार्कस को अनुदान योजना” विस्तृत शीर्ष—०६—अनुदान के अन्तर्गत 79—सहायता अनुदान सामान्य इकाई में विकलनीय होगा।

3. (i) उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, जो राशि की एक मुश्त निकासी कर झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क्स) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सदस्य सचिव को उपलब्ध करायेंगे, जो पूर्व धारित पी0एल0खाता में राशि का संधारण करेंगे।

(ii) पी0एल0खाता के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) नियंत्री पदाधिकारी तथा सदस्य सचिव की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड को तुरंत देंगे। नियंत्री पदाधिकारी एवं सदस्य सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

(iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सदस्य सचिव, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क्स) द्वारा प्राप्त राशि का व्यय, लेखा-संधारण, अंकेक्षण, राशि का प्रत्यर्पण आदि वित्तीय प्रक्रियाओं का अनुपालन सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय मापदंड/निदेश के अनुसार किया जायेगा।

झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क्स) को दी गई राशि/अनुदान राशि का अनुश्रवण एवं नियमानुसार समुचित कार्रवाई करने का दायित्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का होगा।

(v) राशि का संधारण पी0एल0 खाते में करते हुए कुल राशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

4. इस राशि का व्यय झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क्स) के प्रशासी निकाय द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप किया जाएगा। योजनाओं का क्रियान्वयन प्रशासी निकाय से स्वीकृत करने के उपरांत सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाएगी तथा अभिलेख हेतु एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय में समर्पित की जाएगी।

5. परियोजना के कार्यान्वयन में अनुदानित राशि का व्यय संगत वित्त नियमावली के आलोक में वास्तविकता के आधार पर किया जाएगा, जो स्वीकृत राशि के अन्तर्गत होगी तथा राशि का विचलन किसी अन्य कार्य में नहीं किया जाएगा एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित करना होगा।

6. स्वीकृत योजना के सफल कार्यान्वयन तथा ससमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र सरकार को समर्पित करने का उत्तरदायित्व सदस्य सचिव, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क्स) पर होगा।

सदस्य सचिव, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क्स) द्वारा मासिक भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन-सह-उपयोगिता प्रमाण-पत्र वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची को



उपलब्ध कराया जायेगा एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रति अध्यक्ष, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क्स) को समर्पित की जायेगी।

7. (i) स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा।

(ii) राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

(iii) निकासी एवं व्यय पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

8 इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे।

9. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा। सदस्य सचिव निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे :—

(i) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

(ii) नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा महालेखाकार को प्रेषित होने वाले लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। सदस्य लेखा प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(iii) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सदस्य सचिव, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क) कराना सुनिश्चित करेंगे। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से किया जाय।

(iv) भारत सरकार/NGT को भेजे जानेवाले आवश्यक अनुपालन प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(v) सभी सूचना झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क) के पोर्टल/नियंत्री पदाधिकारी के स्तर पर portal पर संधारित किया जाय।

(vi) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश सदस्य सचिव, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क), झारखण्ड निर्गत करेंगे। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाए।

10. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :—

(i) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2021–22 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ii) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(iii) विभागीय स्थापित monitoring के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।



11. (i) सदस्य सचिव, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क) द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100% निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सदस्य सचिव, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क), झारखण्ड द्वारा उपरोक्त योजना अन्तर्गत सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लेने के उपरांत ही राशि व्यय की जाएगी।

(iii) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में ही किया जायेगा। सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक—1204 दिनांक—20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) Income tax(IT)/ Service Tax (GST/VAT)/Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/Sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

(v) कंडिका—iv के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष सदस्य सचिव, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क), झारखण्ड / DDO को होगा।

(vi) कोई वाहन क्रय तथा मानव बल नहीं बढ़ाया जायेगा। कार्यालय उपस्कर एवं वाहन इत्यादि में व्यय को भी सीमित रखा जायेगा।

(vii) नये पार्क अगर स्थानान्तरित भी होंगे तो वे दिनांक—01.04.2022 से प्रभावी होंगे।

12. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. सभी यंत्र—संयत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

14. वैसे यंत्र—संयत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी।

15. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में सदस्य सचिव, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क) का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ—जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social Distancing तथा उनके द्वारा मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। COVID-19 protocol का अनुपालन किया जायेगा।

16. सदस्य सचिव, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क), झारखण्ड / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का ट्रैमासिक Reconciliation संसमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के



खाते का मासिक लेखा/लेजर सदस्य सचिव/नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

17. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

18. निर्देश है कि COVID-19 के क्रम में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाय।

19. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान अन्तर्गत शामिल जिलों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

20. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश/निर्देश लागू होंगे।

21. राशि की विमुक्ति के पूर्व सदस्य सचिव, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क), झारखण्ड उत्तरजीविता प्रतिशत की सूचना प्राप्त कर स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त करें। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय।

22. (i) ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(ii) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा समर्पण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन Gis Photography के साथ कर record में रखें तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(iii) बड़े अग्रिम की राशि वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(iv) सभी भुगतान मजदूरों/सामग्री को DBT/ Bank / डाकघर खातों से यथासंभव सुनिश्चित किया जायेगा। Cash में कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

(v) Master Roll में अन्य ब्यौरा के साथ-साथ बैंक का नाम, Account Number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(vi) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Documents के साथ-साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(vii) एक वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर सदस्य सचिव, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क), झारखण्ड/वन प्रमंडल-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(viii) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर सदस्य सचिव, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क), झारखण्ड / वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(ix) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75 प्रतिशत होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

23. सरकार से निर्गत आवंटन आदेश की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

अनुलग्नक :— यथोक्त।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :— ०१ / यो०ब० - १० / २०२१-५८४ दिनांक :— ०२/८/२०२१

प्रतिलिपि—अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची / सदस्य सचिव, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क्स), झारखण्ड, राँची / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची / एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :— ०१ / यो०ब० - १० / २०२१-५८४ दिनांक :— ०२/८/२०२१

प्रतिलिपि— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।



## आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

शास्त्र वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-10/2021/584

दिनांक -

02-Aug-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060179654010679 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 54 - झारपार्क्स को अनुदान योजना 01-झारपार्क्स को अनुदान 06 - अनुदान	37472	DRNFWL013 ASHOK KUMAR DUBEY DFO, RANCHI FOREST DIVISION RA  79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	20,000,000.00 रुपये दो करोड़

State Scheme : NA  
Central Scheme : NA

योग:	रुपये दो करोड़	20,000,000.00
क्रमिक योग:	(NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCE DEV JHARKHAND	